(3)

न्यायालय में श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, लिंक कोर्ट रीवा म0प्र0

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

मो0 सैफुद्दीन पिता शेख मोहम्मद मुसलमान निवासी ब्यौहारी, थाना व तहसील ब्यौहारी, जिला–शहडोल म0प्र0————————————————————आवेदक/निगरानी कर्ता

बनाम निगरानी - 5947/2018/शहडोल/भू.रा.

1– मो. अब्दुल अजीज पिता शेख मोहम्मद मुसलमान,
2-- मो. लेकद अली पिता शेख मोहम्मद मुसलमान,
3– मो. अब्दुल रयूफ पिता शेख मोहम्मद मुसलमान,
4– मु. जुनिया बेवा शेख मोहम्मद मुसलमान,
सभी निवासी ग्राम ब्यौहारी, थाना व तहसील ब्यौहारी, जिला–शहडोल म0प्र0————————————————————अनावेदक/ गैर निगरानीकर्ता

28/9/18 (रामनरेश पाण्डेय)

श्री राम बचन पाण्डे आदि द्वारा आज दि. 28-9-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 5-10-18 नियत।

रीडर लिंक कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 28-9-18

निगरानी विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय, संभाग शहडोल, के प्र.क.–113/अपील/2016–17 आदेश दिनांक–02.07.2018 एवं न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, ब्यौहारी के रा.प्र.क.–72/अपील/अ–6–अ/2007–08 आदेश दिनांक– 10.09.2013 तथा तहसीलदार ब्यौहारी वृत्त बरौंधा के रा.प्र.क.– 84/अ–6–अ/2006–07 आदेश दिनांक– 24.08.2007 भूमि ग्राम अल्हरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–50(क)
म0प्र0भू0रा0संहिता– 1959

मान्यवर,

विनयपूर्वक प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी का संक्षिप्त विवरण निम्न है:–

1– यह कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता ग्राम अल्हरा की आराजी खसरा नंबर' 12/7 रकबा 2.00ए0 एवं 14 रकबा 1.49ए0 भूमि को पूर्व भूमिस्वामी देवदास पिता रामदुलारे ब्राम्हण से क्रय कर जरिये नामान्तरण पंजी क्र0– 17 दिनांक 18.05.2000 के माध्यम से नामान्तरण दर्ज कराकर बाहैसियत भूमिस्वामी व काबिजदार रहा है।

2– यह कि न्यायालय तहसीलदार वृत्त बरौधा नें अपनें ही नामान्तरण पंजी क्र0–17 दिनांक 18.05.2000 के विरूद्ध रिकार्ड सुधार का प्रकरण संस्थित कर जरिये प्र.क.–84/अ–6–अ/2006–07 आदेश दिनांक 24.08.2007 को निरस्त करनें में गंभीर न्यायिक त्रुटि की है। जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि कोई न्यायालय अपनें ही पारित आदेश के संबंध में यदि कोई दुरूस्तगी व संसोधन करती है तो उसके सम्बन्ध में अपनें ठीक अपीलय अधिकारी से उसकी पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त कर सम्बन्धित व्यक्तियों को लैखिक मौखिक साक्ष्य का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुये न्याय कि अग्रेतर दिशा में कार्यवाही करनें

मो0 सैफुद्दीन

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग-5947/2018/शहडोल/भू0रा0

मो0 सैफुद्दीन विरूद्ध मो अब्दुल अजीज आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से श्री कुवरसिंह कुशवाह अभिभाषक उपस्थित। उन्हें कायमी के बिन्दु पर सुना गया। 2. प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी आयुक्त शहडोल संभाग के प्रकरण क्रमांक 113/अपील/2016-17 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 02-07-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत दिनांक 28-9-2018 को प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है। आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में हुये नवीन संशोधन के पश्चात दायर की गई है। अतः उक्त संशोधन के पश्चात आयुक्त के आदेश के विरूद्ध निगरानी की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। आवेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय में अनुतोष प्राप्त करने हेतु वाद दायर करने के लिए स्वतंत्र है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (3) (आर.के. जैन) 05/3/2019 सदस्य	